न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(डॉ.भंवर लाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील: 07/2019
दायर दिनांक: 01.03.2019
निर्णय दिनांक 01.07.2024

—: अनवान :—

श्री शंकर लाल पिता वरदा जी जाति कुमावत उम्र 50 वर्ष निवासी गंलवा तहसील आमेट जिला राजसमंद

— अपीलांट

बनाम

1. श्री शंकर लाल पिता मोडा जी जाति कुमावत उम्र 65 वर्ष निवासी गलवा तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद
3. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार सरदारगढ़ तहसील आमेट जिला राजसमंद

— रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 315 दिनांक 03.02.1996 फैसल द्वारा नायब तहसीलदार सरदारगढ़ तहसील आमेट जिला राजसमन्द

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश देवपुरा, अधिवक्ता अपीलाण्ट
2— रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित
3— राजकीय अधिवक्ता, श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 02

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री शंकर लाल पिता मोडा जी कुमावत ने ग्राम गलवा तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित अपने खातेदारी की आराजी नम्बर 1552/541 रकबा 0.1100 हैक्टर में से 1000 वर्गमीटर भूमि उधोग हेतु श्रीमान् तहसीलदार साहब, आमेट के यहां आवेदन किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि 1552/541 रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राजस्व/रूपान्तरण/96/22 दिनांक 23.01.1996 से संपरिवर्तन कर दिया। तत्पश्चात् कार्यालय तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद ने एक पत्र पटवारी हल्का गलवा को दिनांक 23.01.1996 को लिखा कि उधोग में संपरिवर्तन

भूमि को राजस्व रेकर्ड में उक्त रकबे का क्षेत्रफल कम कर किस्म गैर मुमकिन उधोग दर्ज कर रिपोर्ट इस कार्यालय में पेश करे। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 315 खोला जाकर भूमि को बिलानाम गैर मुमकिन उघोग दर्ज कर नवीन आराजी नम्बर 1552/541/1 रकबा 0.1000 हैक्टयर उधोग मे दर्ज कर दी व शेष रकबा आराजी नम्बर 1552/541 रकबा 0.0100 हैक्टयर बारानी प्रथम में यथावत् रखी। तत्पश्चात् श्री शंकर लाल पिता मोडा जी कुमावत निवासी गलवा तहसील आमेट जिला राजसमंद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.01.2014 से विक्रय कर दी। जिस विक्रय विलेख के आधार पर नया नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो पा रहा है। चूंकि विक्रय विलेख में उल्लेखित ग्राम गलवा के आराजी नम्बर 1552/541 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म बारानी तो विक्रेता शंकर लाल पिता मोडा जी कुमावत निवासी गलवा के खातेदारी में बोल रही है, लेकिन उधोग में संपरिवर्तित आराजी राजस्थान राज्य के खाते बोल रही है। जो विवादित नामान्तरकरण 315 गलत रूप से खोल दिये जाने से अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट के नाम दर्ज नहीं हो पा रहा है अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट का नाम उसकी खरीदशुदा भूमि विक्रय विलेख दिनांक 17.01.2014 में वर्णित ग्राम गलवा पटवार हल्का गलवा तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नम्बर 1552/541 रकबा 0.0100 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम एवं आराजी नम्बर 1552/541/1 रकबा 0.1000 हैक्टयर किस्म उघोग बाबत् अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें एवं नामान्तरकरण संख्या 315 दिनांक 03.02.1996 नायब तहसीलदार सरदारगढ द्वारा स्वीकृत को निरस्त किया जावें ।

अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 अनुपस्थित। तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी उपस्थिति दी गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

Bello

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम गलवा तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित अपने खातेदारी की आराजी नम्बर 1552/541 रकबा 0.1100 हैक्टर में से 1000 वर्गमीटर भूमि उधोग हेतु श्रीमान् तहसीलदार साहब, आमेट के यहां आवेदन किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि 1552/541 रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राजस्व/रूपान्तरण/96/22 दिनांक 23.01.1996 से संपरिवर्तन कर दिया। तत्पश्चात् कार्यालय तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद ने एक पत्र पटवारी हल्का गलवा को दिनांक 23.01.1996 को लिखा कि उधोग में संपरिवर्तन भूमि को राजस्व रेकर्ड में उक्त रकबे का क्षेत्रफल कम कर किस्म गैर मुमकिन उधोग दर्ज कर रिपोर्ट इस कार्यालय में पेश करे। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 315 खोला जाकर भूमि को बिलानाम गैर मुमकिन उघोग दर्ज कर नवीन आराजी नम्बर 1552/541/1 रकबा 0.

न्यायालय जिला कलक्टर

1000 हैक्टयर उधोग मे दर्ज कर दी व शेष रकबा आराजी नम्बर 1552/541 रकबा 0.0100 हैक्टयर बारानी प्रथम में यथावत् रखी। तत्पश्चात् श्री शंकर लाल पिता मोडा जी कुमावत निवासी गलवा तहसील आमेट जिला राजसमंद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.01.2014 से विक्रय कर दी। जिस विक्रय विलेख के आधार पर नया नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो पा रहा है। चूंकि विक्रय विलेख में उल्लेखित ग्राम गलवा के आराजी नम्बर 1552/541 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म बारानी तो विक्रेता शंकर लाल पिता मोडा जी कुमावत निवासी गलवा के खातेदारी में बोल रही है, लेकिन उधोग में संपरिवर्तित आराजी राजस्थान राज्य के खाते बोल रही है। जो विवादित नामान्तरकरण 315 गलत रूप से खोल दिये जाने से अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट के नाम दर्ज नहीं हो पा रहा है अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट का नाम उसकी खरीदशुदा भूमि विक्रय विलेख दिनांक 17.01.2014 में वर्णित ग्राम गलवा पटवार हल्का गलवा तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नम्बर 1552/541 रकबा 0.0100 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम एवं आराजी नम्बर 1552/541/1 रकबा 0.1000 हैक्टयर किस्म उघोग बाबत् अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें एवं नामान्तरकरण संख्या 315 दिनांक 03.02.1996 नायब तहसीलदार सरदारगढ द्वारा स्वीकृत को निरस्त किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस कथन में निवेदन किया कि नायब तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। बहस पर गहन मनन तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण सक्षम अधिकारी भूमि रूपान्तरण तहसीलदार आमेट के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 23.01.1996 के अनुपालना में राजस्व ग्राम गलवा में अपीलार्थी शंकर लाल की क्रयशुदा खातेदारी भूमि आराजी संख्या 1552/541 रकबा 0.1100 हैक्टयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण किया गया जिसमें से एक हजार वर्गमीटर उधोग हेतु रूपान्तरण की गई तथा शेष 100 वर्गमीटर किस्म बारानी रखी गई। उक्त उधोग हेतु रूपान्तरण की गई भूमि खातेदार के नाम के स्थान पर बिलानाम उधोग भूमि के रूप में दर्ज कर नामान्तरण स्वीकृत किया गया हैं। तहसीलदार आमेट की मौका एवं रेकार्ड की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी प्रमाणित पाया है कि खातेदारी भूमि आराजी संख्या 1552/541 रकबा 0.1100 हैक्टयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण किया गया जिसमें से एक हजार वर्गमीटर उधोग हेतु रूपान्तरण की गई तथा शेष 100 वर्गमीटर किस्म बारानी रखी गई। उक्त संपरिवर्तन आदेश राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षैत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिर्वन नियम 1992 के प्रावधानो के तहत किये गये हैं। इससे प्रमाणित होता है कि उक्त नामान्तरण नायब तहसीलदार सरदारगढ द्वारा त्रुटीपूर्ण स्वीकृत किया गया हैं ऐसी स्थिति में उक्त अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार सरदारगढ़ द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 315 दिनांक 03.02.1996 को अपास्त किया जाकर यह निर्देश दिये जाते है कि रूपान्तरण आदेश 23.01.1996 की अनुपालना में विधिक प्रक्रियानुसार नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही सम्पादित करें।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निष्पादित नामान्तरकरण संख्या 315 दिनांक 03.02.1996 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार सरदारगढ़ को प्रतिप्रेषित (Remand) कर आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार जॉच कार्यवाही की जाकर उपरोक्त नामांतरण के संबंध में विधिक प्रक्रियानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही सम्पादित करें।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 01.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद